# न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गोण्डा।

**जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः 540/2026**

**CNR No.UPGD010016082026**

**दीपक सोनकर,** पुत्र राम चरन, निवासी–ग्राम भवानीपुर खुर्द, थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

**सरकार उत्तर प्रदेश।**

.....अभियोजन।

**दिनांक–18.03.2026**

**1.** यह प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त **दीपक सोनकर** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–321/2025 अन्तर्गत धारा–108 बी0एन0एस0, थाना इटियाथोक, जिला गोण्डा के प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

**2.** आवेदक/अभियुक्त प्रस्तुत मामले में जिला कारागार गोण्डा में निरूद्ध है।

**3.** वादिनी मुकदमा शान्ति देवी द्वारा दिनांक 26.12.205 को समय 13:55 बजे थाना इटियाथोक, जिला गोण्डा में दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभिकथित है कि उसकी लड़की कुमारी मानसी उम्र करीब 15 वर्ष, जो ग्यारह में पढ़ती थी। स्कूल में ही विपक्षी दीपक से उसकी दोस्ती हो गयी, आपस में दोनों एक दूसरे से बात करते थे। कभी–कभी विपक्षी दीपक, उससे व उसकी छोटी लड़की प्रियांशी से भी बात करता था कि वह अपनी बेटी मानसी की शादी उससे कर दे। वह लोग कहती थी कि जब मानसी बड़ी हो जाएगी तो देखा जाएगा, वह मानसी से बातचीत करना व मिलना जुलना बंद कर दे, जिस बात से नाखुश होकर विपक्षी उसकी लड़की मानसी को प्रताड़ित करता था। विपक्षी दीपक के प्रताड़ित करने से क्षुब्ध होकर उसकी लड़की मानसी दिनांक 25.12.2025 को छत के पंखे में दुपट्टा बांधकर अपने गले में फंसाकर आत्महत्या समय करीब 12 बजे दिन में कर ली। आत्महत्या करने की सूचना थाने पे देकर पंचायतनामा की कार्यवाही करायी गयी है।

**4.** आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करके यह कहा गया है कि वादी मुकदमा द्वारा फर्जी तरीके से आवेदक/अभियुक्त को आपराधिक मुकदमे में नामित किया गया है और ऐसी किसी भी प्रकार की कथित कोई घटना नहीं हुई है और उसने कोई घटना कारित नही की है। कथित प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शायी जा रही घटना कल्पना के आधार पर है, क्योंकि साक्षी द्वारा धारा 180 बी0एन0एस0एस0 के बयान में घटना की पुष्टि नहीं की है और साक्षी के बयानों में घोर विरोधाभाष है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एण्टीटाइम्ड व विलम्ब से है तथा विलम्ब का कोई कारण अंकित नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट व प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना के समय में अंतर है। वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 25.12.2025 को थाना इटियाथोक में दी गयी लिखित सूचना में केवल मृतका के आत्महत्या का उल्लेख है तथा किसी प्रकार के दुष्प्रेरण/अनुत्तेजन का



Digitally signed by DURG NARAIN SINGH
Date: 2026.03.28 19:27:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कोई उल्लेख नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं धारा 180 बी0एन0एस0एस0 के तहत संकलित किये गए साक्ष्य से उसके विरूद्ध कोई अपराध साबित नहीं होता है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह दिनांक 31.01.2026 से अभिरक्षा में है। उपरोक्त समस्त कथनों के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

**5.** अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। आवेदक/अभियुक्त का प्रेम सम्बन्ध वादिनी मुकदमा की पुत्री से था। आवेदक/अभियुक्त पर वादिनी मुकदमा की पुत्री को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने एवं उक्त दुष्प्रेरण के फलस्वरूप मृतका मानसी द्वारा आत्महत्या कर लेने का आरोप है। अतः आवेदक/अभियुक्त की भूमिका एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य बताया है।

**6.** मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

**7.** प्रथम सूचना रिपोर्ट के परिशीलन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी में नामजद है। आवेदक/अभियुक्त पर वादिनी मुकदमा के पुत्री मानसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, उसे आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरित करने तथा उक्त प्रताड़ना के फलस्वरूप मृतका द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का अभियोग लगाया गया है।

**8.** दौरान विवेचना वादिनी मुकदमा शान्ती देवी द्वारा विवेचक को दिए बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए कथन किया है कि उसकी लड़की मानसी की उम्र करीब 15 वर्ष थी और वह कक्षा ग्यारह में पढ़ती थी। इसी साल उसने अपनी लड़की का दाखिला चिन्मय ग्रामोदय विद्या मन्दिर इण्टर कालेज में कराया था। इसी स्कूल में विपक्षी दीपक भी पढ़ता है। दाखिला के बाद से विपक्षी दीपक उसकी लड़की के नजदीक आता गया और अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। इसके बाद इन दोनों में फोन पर बातें तथा मिलना जुलना शुरू हो गया था। कभी–कभी दीपक उससे व उसकी मंझली लड़की प्रियांशी से भी बात करता था और कहता था कि वह अपनी लड़की मानसी की शादी उससे करा दे। उसने उसे समझाया कि मानसी बड़ी हो जाएगी तो देखा जाएगा, अभी वह उसकी लड़की से बात चीत करना व मिलना जुलना बन्द कर दे। इसी बात से नाखुश होकर विपक्षी दीपक उसकी लड़की मानसी को आए दिन प्रताड़ित करता था। इसी वजह से दोनों में काफी झगड़े होते रहते थे। दीपक की प्रताड़ना व उकसावे में आकर उसकी लड़की मानसी ने दिनांक 25.12.2025 को छत के पंखे में दुपट्टा बांधकर अपने गले में फंसाकर आत्महत्या समय करीब 12 बजे दिन में कर ली।

**9.** समान आशय का कथन मृतका की बहन प्रियांशी द्वारा विवेचक को दिये गये बयान में किया गया है।

**10.** दौरान विवेचना विवेचक द्वारा मृतका के मोबाईल के सी0डी0आर0 का अवलोकन कर उसकी अंकना केस डायरी में की गयी है, जिसके अनुसार मृतका व

आवेदक/अभियुक्त के मध्य काल व मैसेज की समय अवधि व पुनरावृत्ति सामन्य से काफी अधिक है तथा घटना के दिन भी दोनों के मध्य काल व मैसेज से वार्ता काफी समय तक हुई थी।

**11.** मृतका मानसी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसके शरीर पर निम्नलिखित एण्टीमार्टम चोटें पायी गई हैं–

Ligature mark present 32 cm x 0.5 cm all around neck with gap of 04 cm, rt side upper neck, 03 cm below from rt ear, 05 cm below from chin, 06 cm below from left ear. On dissection underlying ligature mark present subcutaneous tissue dry, white and glistening parchment like tissue present.

**12.** मृतका के शव का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक द्वारा मृतका की मृत्यु एण्टीमार्टम हैंगिंग के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए एस्फिक्सिया से होना बताया गया है।

**13.** दौरान विवेचना, विवेचक द्वारा कथित घटना में आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित किया गया है। मामले में विवेचना उपरान्त आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यन्त ही गंभीर प्रकृति का है।

**14.** अतः मामले के समस्त तथ्यों, परस्थितियों एवं कथित घटना कारित करने में आवेदक/अभियुक्त की भूमिका के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं पाया जाता है। आवेदक/अभियुक्त दीपक सोनकर द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

आवेदक/अभियुक्त **दीपक सोनकर** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–321/2025, अन्तर्गत धारा–108 बी0एन0एस0, थाना–इटियाथोक, जिला–गोण्डा के मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं0–540/2026 **निरस्त** किया जाता है।

**दिनांक–18.03.2026**

**(दुर्ग नरायन सिंह)**
**सत्र न्यायाधीश,**
**गोण्डा।**
**आई0डी0 नं0–यू0पी0 5863**